

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 4274/2026

Rashid S/o Gafoor, Aged About 23 Years, R/o Village Palankheda,
Police Station Govindgarh, District Alwar. (Presently Accused
Confined In Central Jail, Alwar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Dharmendra Kumar
For Respondent(s)	: Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय प्रार्थना-पत्र पुलिस थाना-गोविन्दगढ़ जिला-अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 319 (2), 318(4), 316(2) बी.एन.एस. व 66-डी आई.टी.एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.2.2026 को निरस्त किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.2.2026 को निरस्त होने के बाद अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त पर मात्र 7,000/-रुपये की ठगी का आक्षेप है तथा उसके विरुद्ध साइबर पोर्टल 1930 पर दो शिकायतें दर्ज होना बताया गया है, जिसमें से एक शिकायत 1500/-रुपये की तथा दूसरी शिकायत 5500/-रुपये की ठगी करने की बताई गई है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 13.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई

आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि मामला साईबर ठगी के गंभीर अपराध से सम्बन्धित है। उसके विरुद्ध साईबर पोर्टल पर पूर्व में दो शिकायतें दर्ज हुई हैं। वर्तमान समय में साईबर ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पूर्व में प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.2.2026 को निरस्त होने के पश्चात् अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा जो धोखाधड़ी करनी बताई गई है, उसमें से एक 1,500/-रूपये की व दूसरी 5,500/-रूपये की कुल मिलाकर 7,000/-रूपये की प्रकट हुई है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 13.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J